

संसद सदस्य की सदस्यता समाप्ति

प्रलिस के लिये:

[संसद सदस्य, जन प्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951](#), चुनाव आचरण नयम 4A, जन प्रतनिधित्त्व अधनियम के तहत भ्रष्ट आचरण

मेन्स के लिये:

संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त करना

चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 के थेनी संसदीय क्षेत्र के वजिता संसद सदस्य (सांसद) की सदस्यता को शून्य घोषित कर दिया है।

- हालाँकि, न्यायालय ने अपील के लिये समय प्रदान करने हेतु अपने आदेश को एक महीने के लिये स्थगित कर दिया है।

पृष्ठभूमि:

■ आरोप:

- याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त सांसद चुनाव संचालन नयम, 1961 के नयम 4A के तहत दायर किये जाने वाले अपने चुनावी हलफनामे के फॉर्म 26 में अपनी वास्तविक संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने में वफिल रहा है।
- इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि उस प्रत्याशी ने जनप्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951 की धारा 123 का उल्लंघन करते हुए वोटों के लिये नकदी के वितरण जैसे भ्रष्ट आचरण का सहारा लिया।

■ न्यायालय की टिप्पणी:

- उच्च न्यायालय ने पाया कि नामांकन की जाँच के लिये उत्तरदायी रटिर्नगि अधिकारी द्वारा जनप्रतनिधित्त्व अधनियम की धारा 36 और हैडबुक में उल्लिखित नरिदेशों का पालन नहीं किया गया।

चुनाव आचरण नयम, 1961:

■ परिचय:

- चुनाव आचरण नयम, 1961 भारत में जन प्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951 के तहत स्थापित नयमों का एक समूह है। इनमें देश में चुनावों के संचालन को नियंत्रित करते हैं और प्रत्याशी, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों तथा मतदाताओं द्वारा पालन किये जाने वाले दशा-नरिदेश तथा प्रक्रियाओं का वर्णन है।
- इन नयमों में चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलु शामिल हैं, जिनमें नामांकन पत्र दाखल करना, नामांकन की जाँच, चुनाव अभियान नयम, मतदान प्रक्रियाएँ, वोटों की गणना और चुनाव विवाद समाधान शामिल हैं।

■ नयम 4A:

- इसके तहत अपना नामांकन पत्र जमा करते समय प्रत्याशी को उनकी संपत्ति और देनदारियों के बारे में कानूनी विवरण प्रदान करने के लिये एक हलफनामा (फॉर्म 26) रटिर्नगि ऑफिसर को देना अनविर्य होता है।

जन प्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण:

■ अधनियम की धारा 123:

- RPA अधनियम की धारा 123 के अनुसार, "भ्रष्ट आचरण" वह है जिसमें एक प्रत्याशी चुनाव जीतने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत रशिवत, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी, और धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा, "दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देना अथवा ऐसा प्रयास करना शामिल है।"

■ धारा 123(2):

- यह धारा 'अनुचित प्रभाव (undue influence)' से संबंधित है, जिसे "किसी भी चुनावी अधिकार के मुक्त अभ्यास के साथ प्रत्याशी (किसी परस्थिति में प्रत्याशी द्वारा स्वयं अथवा कभी कभी उसके प्रतिनिधित्वकर्त्ताओं या संबद्ध व्यक्तियों) द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में परभावित किया गया है।"
- इसमें चोटल करने/हाना पहुँचाने, सामाजिक अस्थिरता और किसी भी जाति अथवा समुदाय से नषिकासन की धमकी भी शामिल हो सकती है।

■ धारा 123(4):

- यह चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली भ्रामक जानकारी के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने हेतु "भ्रष्ट आचरण" की परिभाषा को और व्यापक बनाता है।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक नरिवाचित प्रतिनिधि को कुछ अपराधों हेतु जैसे- भ्रष्ट आचरण के आधार पर, चुनाव खर्च घोषित करने में वफिल रहने पर और सरकारी अनुबंधों या कार्यों में संलग्न होने का दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

RPA, 1951 के अंतर्गत सांसद की अयोग्यता के अन्य प्रावधान

- उसे किसी भी अपराध जिसमें दो या अधिक वर्षों की कारावास की सज़ा हो, के लिये दोषी नहीं ठहराया गया होगा। लेकिन नविकर नरिध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ती की हरिसत अयोग्यता नहीं है।
- उसकी सरकारी ठेकों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिये।
- वह नदिशक या प्रबंध एजेंट नहीं होना चाहिये और न ही उसे किसी ऐसे नगिम में लाभ का पद धारण करना चाहिये जिसमें सरकार क्रिम से कम 25% हस्सिसेदारी हो।
- उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिये सरकारी सेवा से बरखास्त नहीं किया गया होगा।
- उसे वभिन्न समूहों के बीच शतरुता को बढ़ावा देने या रशिवतखोरी के अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया होगा।
- ऐसा व्यक्ती जिसे असपृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने तथा उसकी वकालत करने के लिये दंडित नहीं होना चाहिये।

अतीत में न्यायालय ने जनि प्रथाओं को भ्रष्ट आचरण के रूप में माना:

■ अभरिम सहि बनाम सी.डी. कॉमाचेन केस:

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'अभरिम सहि बनाम सी.डी. कॉमाचेन मामले में माना की धारा 123 (3) के अनुसार (जो इसे प्रतिबंधित करता है) अगर प्रत्याशी के धर्म, जाति, वंश, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।

■ एस.आर बोमई बनाम भारत संघ (1994):

- सर्वोच्च न्यायालय ने RPA, 1951 की धारा 123 की उपधारा (3) का हवाला देते हुए नरिणय सुनाया की धर्मनरिपेक्ष गतविधियों में धर्म का अतिक्रमण कठोरता से प्रतिबंधित है।

■ एस. सुबरमणयम बालाजी बनाम तमलिनाडु राज्य (2022):

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की भुफ्त सुवधियों के वादे को भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता।
- हालाँकि, इस मामले पर अभी भी नरिणय होना शेष है।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम:1951

■ प्रावधान:

- यह चुनाव के संचालन को वनियमति करता है।
- यह सदनों की सदस्यता के लिये योग्यताओं और अयोग्यताओं को नरिदष्ट करता है,
- यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान प्रदान करता है।
- यह चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों और वविदों को नपिटाने की प्रक्रिया नरिधारति करता है।

■ महत्त्व:

- यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारू कार्यप्रणाली के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि निकायों में प्रवेश पर रोक लगाता है, इस प्रकार भारतीय राजनीति को अपराधमुक्त कर देता है।
- अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने के साथ ही चुनावी व्यय का लेखा-जोखा रखना होगा। यह प्रावधान सार्वजनिक धन के उपयोग या व्यक्तगत लाभ के लिये शक्तिके दुरुपयोग में प्रत्याशी की जवाबदेही और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है।
- यह बूथ कैपचरिंग, रशिवतखोरी या दुश्मनी को बढ़ावा देने आदि जैसी भ्रष्ट प्रथाओं पर रोक लगाता है, जो चुनावों की वैधता एवं स्वतंत्र और नषिपक्ष आचरण सुनिश्चित करता है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिये आवश्यक है।
- अधिनियम में यह प्रावधान है की केवल वे राजनीतिक दल जो RPA अधिनियम, 1951 की धारा 29 A के अंतर्गत पंजीकृत हैं, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र हैं, इस प्रकार राजनीतिक फंडिंग के स्रोत का पता लगाने और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र प्रदान किया जाता है।

????????:

प्रश्न .1 नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. भारत में, ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में तीन नरिवाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है ।
2. 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने तीन लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था ।
3. वर्तमान नयिमें के अनुसार, यद कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई नरिवाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पारटी को उन नरिवाचन क्षेत्रों के उप-चुनाव का खर्चा उठाना चाहयि जिन्हें उसने खाली कयि है बशर्ते वह सभी नरिवाचन क्षेत्रों से वजियी हुआ हो ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) 2 और 3

उत्तर:(b)

व्याख्या:

- वर्ष 1996 में लोक प्रतनिधित्व अधनियम-1951 में संशोधन करके लोकसभा और वधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी द्वारा लड़ी जा सकने वाली सीटों की संख्या को 'तीन' के स्थान पर 'दो' तक सीमति कर दयि गया । **अतः कथन 1 सही नहीं है ।**
- वर्ष 1991 में श्री देवीलाल ने लोकसभा की तीन- सीकर, रोहतक और फरिज़पुर सीटों से चुनाव लड़ा । **अतः कथन 2 सही है ।**
- जब भी कोई प्रत्याशी एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ता है तथा एक से अधिक जीतता है, तो प्रत्याशी को केवल एक ही सीट बनाये रखनी होती है, जसिसे बाकी सीटों पर उपचुनाव कराना पड़ता है । इसका परणाम यह होता है, क
- परणामी रक्ति के वरिद्ध उपचुनाव कराने के लयि सरकारी व्यय, सरकारी कर्मचारीयों और अन्य संसाधनों पर एक अपरहार्य वत्तीय बोझ पड़ता । **अतः कथन 3 सही नहीं है ।**

अतः वकिल्प (B) सही उत्तर है ।

????????:

प्रश्न. लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 के अंतरगत संसद अथवा राज्य वधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे वविदों के नरिणय की प्रक्रयि का वविचन कीजयि । कनि आधारों पर किसी नरिवाचति घोषति प्रत्याशी के नरिवाचन को शून्य घोषति कयि जा सकता है? इस नरिणय के वरिद्ध पीड़ति पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद वधियों का संदर्भ दीजयि । (2022)

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडयि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/annulment-of-member-of-parliament>